

देता है जहाँ वे वकील प्रतिपदि 20 आर्म्बिट ठेका
 वहाँ कि कदम बा डिक्ली किया जाता ही वे बुन्दे
 दोरे अमली नई ही प्रिप्रल आन-हा चालते पेश
 करके सादर धारी हेतु दिगांकु 2-1-18 की पेशाया

उपखण्ड अधिकारी चिडावा
 जिला बुन्देलखण्ड (राज.)

2 1/18

पदावली पेश हुई। वकील वादी एवं वकील प्रतिवादी
 सं-२ उप-१। वकील वादी ने सादर हेतु सापय पद
 पेश किया जो शापिट निशान रहे। प्रदर्शित 12-2-18
 गये। वकील पत्रकारों ने प्राथमिक डिक्ली किये जाने
 का निवेदन किया अतः वाद-वादीगण प्राथमिक
 डिक्ली किया जाता ही लक्ष्योत्तर लिखा या की आदेशित
 किया जाता ही कि मोड पर जाकर मुझे 28 न बाद
 पद की पद। सं-१ के वादल मुझे की मोड पर जाकर
 कठपै व कारत के अउर विभाजन प्रस्ताव तैयार
 कर आगामी दिगांकु 12-01-18 की पेशा हो।

उपखण्ड अधिकारी चिडावा

12 1/18

पत्रावली पेश हुई। सकुलाम फरिदम उपखण्ड
 पीठासीन अधिकारी आज दीगर कार्य में व्यस्त
 हैं। प्रसंग पर हैं। अतः पत्रावली गत आदेशानुसार
 आगामी दिनांक 15-1-18 की पेशा हो।

15 1/18

पत्रावली पेश हुई। वाद-वादीगण पुताबिक
 विभाजन प्रस्ताव डिक्ली किया जाता ही विभाजन
 प्रस्ताव निवेदन व डिक्ली का भाग रहेगा। पदावली
 केवल शुमार होकर नमवर से कम की जाकर वाद
 तकपिल जावला वाखिल इफ्तार हो।

उपखण्ड अधिकारी चिडावा